न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

आसीन अधिकारी : बीनू देवल(आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 154/2013 (2013/00068)

अनवान

1. नाना पिता लखमा जाट नि.सहनवा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. भूरा पिता लखमा जाट नि.सहनवा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. चतरभुज पिता लखमा जाट नि.सहनवा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. गौरव बोकडिया पिता चांदमल बोकडिया नि.सेंती चित्तौडगढ
2. नवनरेश झंवर (एच.यू.एफ.) पिता रामेश्वर लाल झंवर नि.बी/383 शास्त्री नगर भीलवाडा
3. रोशन पिता सोभागमल लोढा नि.सेंती चित्तौडगढ
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—89—188 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री दिनेश कुमार मौड अधिवक्ता वादीगण

श्री बसन्ती लाल पोखरना अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 03

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक 17.04.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—89—188 आर.टी.ए. का ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 96, 97, 98, 99 मी , 228 कुल किता 05 कुल रकबा 2.25 हे. के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया जैर बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र बाबत् 07 नियम 11 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया किया कि प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे की ग्राम सहनवा की आराजी नं 163 , 165, 226 मी भूमि स्थित है। जिसमे से ग्राम सहनवा की आराजी नं 165 रकबा 0.25 हे. एंव आराजी नं 226 मी. रकबा 0.21 हे. भूमि विधि अनुसार आवासीय

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है इसके साथ ही अब मौके पर कृषि भूमि के रूप मे रही ही नही है। वरन् आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है। यह आवासीय रूपान्तरण विधि अनुसार सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 17.01.2012 के द्वारा हो चुका है । संपूर्ण भूमि जिसके संबंध मे वाद आराजी नम्बर 226 के संबंध मे वादीगण का है वह प्रतिवादी संख्या 01 की आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि हो चुकी है। इसी भांति ग्राम सहनवा की आराजी न 1832/299 रकबा 0.19 हे. भी प्रतिवादी संख्या 03 के खातेदारी में विधि अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ हो चुकी है। आवासीय प्रयोजनार्थ हुए काफी अर्सा लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो चुके है और उक्त आवासीय भूखण्ड बनाकर कई लोगो को फर्दन फर्दन विक्रय कर दिये है जिस पर खरीददारान का कब्जो मौके पर चला आ रहा है इस कारण भी वाद निरस्तनीय है क्योंकि मौके पर अब प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की वादीगण की कृषि भूमि से साथ लगी कोई कृषि भूमि रही ही नहीं है और यह वाद आवासीय भूमि व कृषि भूमि का कम्पोजीट सूट होने से वादीगण का वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार है । अन्त मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 रेडविथ धारा 151 जा.दी. स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारीज किए जाने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 रेडविथ धारा 151 जा.दी. का जवाब न देकर सीधे बहस करना चाहते है। बहस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 226 से रकबा पूर्ति करवाना चाहता है उक्त आराजीयात कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि हो चुकी है ऐसी स्थिति मे वादी का वाद पत्र आवासीय एंव कृषि भूमि का कम्पोजिट सूट होने से न्यायालय आप का क्षेत्राधिकार का नही होने से वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज फरमाया जाने का अनुरोध किया । इसके विपरित अधिवक्ता वादी ने वक्त बहस निवेदन किया कि वादी ने कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू केवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वाद पत्र पेश किया है राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है इसके साथ ही प्रतिवादीगण की जो आपत्ति है उसकी तनकीयात कायम की जाकर गुणावगुण पर वाद पत्र का निस्तारण किया जाने का निवेदन कर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 07 नियम 11 , 151 जा.दी. खारीज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के निष्कर्ष पर पहुचने से पूर्व एक नजर विधिक प्रावधनो की रोशनी पर जो कि इस प्रकार है :–

विशेष :– विधिक प्रावधानो के अनुसार आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ मे नामंजूर किया जावेगा।

(क) जहाँ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है

(ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पपर उस समय के भीतर जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है ,

(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है , किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर , जो न्यायालय मे नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है

(घ) जहाँ वाद पत्रं के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ङ) जहाँ यह दो प्रतियों मे फाइल नही किया जाता है

(च) जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन का अनुपालन करने मे असफल रहता है

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत् घोषणा , इन्द्राज दुरस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी 01 व 03 ने जो मुख्य आपत्ति अपने प्रार्थना पत्र मे उठाई है कि वादी का वाद पत्र कम्पोजिट सूट

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हो जाने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। उक्त आपत्ति के विनिश्चय हेतू हमने वाद पत्र का सारवान पठन पाठन किया गया। वाद पत्र के अभिवचनो से यह जाहिर होता है कि वादी ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 96, 97, 98, 99 के रकबे मे हुई कमी को प्रतिवादी की आराजी संख्या 226 व 227 के रकबे से पूर्ति करवाने हेतू इन्द्राज दुरस्ती व घोषणा करवाना चाहता है। चूकि प्रतिवादी की मुख्य आपत्ति यह है कि ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 226 कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि हो चुकी है। उक्त रूपान्तरण आदेश विधि अनुसार सक्ष्म अधिकारी के आदेश दिनांक 17.01.2012 के द्वारा हो चुका है। इसी के साथ ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 1832/299 रकबा 0.19 हे. भूमि भी आवासीय प्रयोजनार्थ होकर आवासीय भूखण्ड बनाकर कई लोगो को फर्दन फर्दन विक्रय कर दिये है जिस पर खरीददारान का कब्जा मौके पर चला आ रहा है। यहा यह स्पष्ट उल्लेख करना उचित रहेगा की वादी ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 226 से रकबा कमी पूर्ति करवाना चाहता है जो कि विधि अनुसार सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 17.01.2012 से आवासीय रूपान्तररित हो चुकी है यहा यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि वादी ने वाद पत्र वर्ष 2013 मे प्रस्ततु कर वाद दायर हुआ जबकि रूपान्तरण आदेश वर्ष 2012 मे ही हो गये थे। ऐसी सूरत मे यह बात भलीभाति उभर कर आई है कि वादी का वाद पत्र प्रस्तुति के समय वाद ग्रस्त आराजीयात ग्राम सहनवा की आराजी संख्या 226 की किस्म कृषि भूमि न होकर आवासीय हो चुकी थी। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद पत्र आवासीय भूमि व कृषि भूमि का कम्पोजिट सूट होने की पुष्टि होती है एंव कम्पोजिट सूट के सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है।

अतः वादी का वाद पत्र क्षेत्राधिकारिता के विधिक बिन्दू पर पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो के तहत खारीज किए जाने योग्य है।

(बीनू सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश मे प्रार्थीगण/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के विधिक प्रावधानो (घ) की रोशनी मे प्रकाशमान प्रतीत होता है।

अत : प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानो के अनुसार वादी का वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का न होने से विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. नाना पिता लखमा जाट नि.सहनवा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. भूरा पिता लखमा जाट नि.सहनवा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. चतरभुज पिता लखमा जाट नि.सहनवा तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. गौरव बोकडिया पिता चांदमल बोकडिया नि.सेंती चित्तौडगढ
2. नवनरेश झंवर (एच.यू.एफ.) पिता रामेश्वर लाल झंवर नि.बी/383 शास्त्री नगर भीलवाडा
3. रोशन पिता सोभागमल लोढा नि.सेंती चित्तौडगढ
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी
प्रकरण संख्या : 154/2013 (2013/00668)

अप्रार्थी/ वादी की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार मौड की, और प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता बसन्तीलाल पोखरना की उपस्थिति में यह प्रार्थना पत्र (07 नियम 11 जा.दी.) आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का नही होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

यह आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner